कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या–ई.स.1567/जी.एस., दिनांक–19.09.2006 की टंकित प्रति:–

आपके पत्रांक– 2030/सम्बद्धता/2006, दिनांक–30.08.2006 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–37 (2) के अधीन **बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाडपाथर, गुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र** को **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत **बी.पी.एड. पाठ्यक्रम** में 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वीकृत घोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक–01.07.2006** से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है–

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–18(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.दि.वि./सम्ब/2007/08-07(भाग-2)/1007 दिनांक : 17.02.2007

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्धक/प्राचार्य बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाडपाथर, गुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लेगा। यह अनुमति सत्र 2006–07 से प्रदान की जा रही है।
2. उप/सहा. कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव